



परिवाद सं० 64 / 2025

श्री बिपिन चन्द्र तिवारी  
मै० इन्डस टावर लिमिटेड  
निवासी- खसरा नं० 283 एम०टी०एन०,  
थर्ड फ्लोर सतगुरु प्लाजा, जाखन  
राजपुर रोड, देहरादून।

परिवादी

अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
देहरादून।

बनाम

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 28.11.2025

श्री रजनीश माथुर  
श्री दीपक फरस्वाण

तकनीकी सदस्य  
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint with regard to wrong bill issued by UPCL for the month of August 2025.

The Complainant submits and prays as under:-

*"We have permanent electric connection having account number 42400758136, 05KW connected load in the name of Indus Towers Limited at location- Jakhan, under EDD Dehradun North, Divison issued bill for the month of Aug-25, in which abnormal 28636*

*[Signature]*

*[Signature]*



units consumption shown and bill raised for the amount Rs- 215,274.90/. Such huge consumption is not possible in any condition for 05 Kw connection for 2 month. We have multiple times approach to division for correction of bill but no response is received. Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming. Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom."

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 439 दिनांकित 04/10/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि "संयोजन सं० 7061116324825 ( M/s. INDUS TOWER LTD) के मापक संख्या 9575377 की एम.आर.आई. दिनांक 29.09.2025 को की गयी जिसमें मापक पर पाठ्यांक 44247 KWH पाया गया। एम०आर०आई रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता का प्रति माह की वास्तविक रीडिंग का पाठ्यांक एवं औसतन खपत निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | माह                       | मापक की वास्तविक रीडिंग | प्रति माह खपत | मापक की Maximum Demand |
|----------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1        | अक्टूबर 2024 (01.10.2024) | 3659.17                 | -             | 6.46 KW                |
| 2        | मई 2025 (01.05.2025)      | 26865.78                | 3315.23 unit  | 8.76 KW                |

*[Signature]*

*[Signature]*



|   |                           |          | per month              |         |
|---|---------------------------|----------|------------------------|---------|
| 3 | जून 2025 (01.06.2025)     | 30366.16 | 3500.38 unit per month | 8.84 KW |
| 4 | जुलाई 2025 (01.07.2025)   | 33796.08 | 3429.92 unit per month | 8.88 KW |
| 5 | अगस्त 2025 (01.08.2025)   | 37364.34 | 3568.26 unit per month | 8.80 KW |
| 6 | सितम्बर 2025 (01.09.2025) | 40950.34 | 3586.00 unit per month | 8.96 KW |
| 7 | सितम्बर 2025 (29.09.2025) | 44247.05 | 3296.71 unit per month | 6.66 KW |

उपभोक्ता का दिनांक 14.08.2025 से 29.09.2025 (46 दिवस) के मध्य उपभोक्ता की विद्युत खपत 5326 Units एवं 6.66 KW Maximum Demand पायी गयी। जबकि Contract Load 05 KW है। उपभोक्ता की प्रतिदिन की खपत औसतन लगभग 116 (5326/46) यूनिट है। उपभोक्ता को विद्युत संयोजन निर्गत करने की तिथि 04.08.2024 से 29.09.2025 तक 420 दिनों की कुल खपत 44247 KWH पाया जाना (44247 KWH/420 Days = 105.35 Units Per Day) है। अतः उपभोक्ता का विद्युत बीजक सही एवं तार्किक है। उपरोक्त विषयक माननीय मंच के संज्ञान में यह भी लाना है कि उपखण्ड अनारवाला के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2025 से पूर्व M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा उपभोक्ताओं की रीडिंग लेने का कार्य किया जाता था। M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा उपभोक्ता (M/s TDS Pvt. Ltd) को प्रति माह वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत न किये जाने के कारण उपभोक्ता को एक बार में ही वास्तविक रीडिंग का विद्युत बीजक निर्गत किया गया। उपभोक्ता के पत्र के अनुसार उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनसे विद्युत बीजक के साथ Late payment Surcharge लिया



जा रहा है जिसके कम में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता से 14.08.2025 तक के विद्युत बीजकों पर कोई भी Late payment Surcharge नहीं लगाया गया है।”

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध एम०आर०आई० रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर विद्युत बिल जारी किया गया है, तथा इसमें बीजक में कोई भी Late Payment Surcharge नहीं लगाया गया है जो नियमानुसार सही है, तथा इन्हें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद-व्याय प्राप्त नहीं करेंगे।

इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण)

उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)

तकनीकी सदस्य

### आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद-व्याय प्राप्त नहीं करेंगे।

इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण)

उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)

तकनीकी सदस्य



परिवाद सं० 66 / 2025

श्री स्वामी परमेश्वर दास  
निवासी- श्री चित्रकूट धाम विडलाफार्म,  
हरीपूर कला रायवाला, ऋषिकेश।

परिवादी

अधिकांसी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०  
देहरादून।

बनाम

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 30.11.2025

श्री रजनीश माथुर  
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली  
श्री दीपक फरस्वाण

तकनीकी सदस्य  
न्यायिक सदस्य  
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।  
परिवादी का कथन है कि "प्रार्थी स्वामी परमेश्वर दास शिष्य स्व० महंथ स्वामी रामकृष्णदास निवासी श्री चित्रकूट धाम  
विडलाफार्म हरीपुर कला रायवाला देहरादून का निवासी है। श्री चित्रकूट धाम आश्रम में बिजली का कनेक्शन मेरे  
गुरुदेव जी के नाम से चला आ रहा था, जिसका कनेक्शन नं० (40101910735) RK22126023456 है। मेरे गुरुदेव  
भगवान को महाप्रमाण हो चुके हैं, उन्होंने मेरे नाम से रजिस्टर्ड वसीयत लिखा रखी है, उक्त आश्रम का मैं एकमात्र  
उत्तराधिकारी एवं वारिस हूँ। मैं कनेक्शन अपने नाम कराने गया तो पता चला कि किसी अन्य के नाम से  
नामान्तरित कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है अतः प्रार्थी के नाम से कनेक्शन नामान्तरित करते हुए न्याय  
दिलाने की गहती कृपा करें। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1016, दिनांकित 04/10/2025 से मंच को  
अवगत कराया है कि "श्री महेन्द्र दास, पुत्र श्री रामकृष्ण दास, बिरला फार्म हरिपुरकला, द्वारा दिनांक 27.11.2024 को  
विद्युत संयोजन संख्या RK22126023456 को श्री रामकृष्ण दास, के नाम से अपने नाम पर परिवर्तन करने हेतु आवेदन

*[Handwritten signatures]*



पत्र, श्री रामकृष्ण दास का मृत्यु प्रमाण पत्र, तथा रजिस्टर्ड वसीयतनामा इस कार्यालय को प्रेषित कर आवेदन किया गया था। दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त विद्युत संयोजन संख्या RK22126023456 को श्री रामकृष्ण दास, के नाम से श्री महेन्द्र दास, पुत्र श्री रामकृष्ण दास, बिरला फार्म, हरिपुरकला ऋषिकेश, के नाम परिवर्तन कर दिया गया। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 16.10.2025 को तृतीय पक्ष के रूप में श्री महेन्द्र दास, पुत्र श्री रामकृष्ण दास बिरला फार्म, हरिपुरकला, ऋषिकेश, देहरादून को सुने जाने के निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में मंच द्वारा श्री महेन्द्र दास को स्पीड पोस्ट संख्या EV958404785IN के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया, परन्तु उक्त नोटिस उपरोक्त पते पर श्री महेन्द्र दास के नाम से तामिल नहीं हो पाया एवं पोस्टमैन द्वारा यह टिप्पणी कर उक्त नोटिस मंच कार्यालय को लौटाया गया कि "प्राप्तकर्ता का कोई पता नहीं लगा मोहल्ला गली नं० नहीं" से स्पष्ट है कि वर्तमान में श्री महेन्द्र दास, पुत्र श्री रामकृष्ण दास बिरला फार्म, हरिपुरकला, ऋषिकेश, देहरादून के पते पर निवास नहीं कर रहे हैं। परिवादी द्वारा श्री राम कृष्ण दास द्वारा निष्पादित वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया जिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त संपत्ति चित्रकूट आश्रम, ग्राम-हरिपुर कलां, बिरला फार्म, गली नं० 5, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून को श्री परमेश्वर दास शिष्य, कृष्ण दास को दिया जा रहा है।

विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ संलग्न नाम परिवर्तित कराये जाने संबंध आवेदन पत्र के साथ संलग्न वसीयतनामा विला मालियती का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि उक्त वसीयतनामा के पेज संख्या 2 की 5 एवं 6 पंक्ति में " मेरी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश व उत्तराखण्ड कहने का तात्पर्य सम्पूर्ण भारत" में चित्रकूट आश्रम, ग्राम-हरिपुर कलां, बिरला फार्म, गली नं० 5, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून का पता स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और मंच द्वारा तृतीय पक्ष श्री महेन्द्र दास को प्रेषित पत्र मंच को वापिस प्राप्त होने से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त परिसर पर श्री महेन्द्र दास निवास नहीं कर रहे हैं। विद्युत का उपभोग एवं विद्युत बिल का भुगतान श्री परमेश्वर दास द्वारा किया जा रहा है जिसकी पुष्टी उनके द्वारा शिकायती पत्र के साथ संलग्न रसीद संख्या 3344402092110050023 दिनांक 02.09.2021 से हो जाती है, ऐसी दशा में श्री महेन्द्र दास द्वारा विद्युत संयोजन संख्या RK22126023456 को श्री रामकृष्ण दास, के नाम से परिवर्तन करने हेतु किये गये आवेदन दिनांक 27.11.2024 के क्रम में श्री रामकृष्ण दास के नाम से श्री महेन्द्र दास पुत्र रामकृष्ण दास, बिरला फार्म, हरिपुरकला, ऋषिकेश के नाम पर किये गये नाम परिवर्तन को खारिज किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा एवं वसीयतनामा दिनांकित 29.08.2023 12.54PM के आधार पर

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

# Electricity Consumer Grievance Redressal Forum

(Garhwal Zone)

V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road

Dehradun - 248001

Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956

Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395

E-Mail - cgrfgz@gmail.com



विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

(गढ़वाल क्षेत्र)

वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड

देहरादून - 248001

दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2761951

कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395

ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी द्वारा नियमानुसार आवदेन करने के उपरान्त उपरोक्त संयोजन श्री परमेश्वर दास के नाम पर परिवर्तित किया जाना तर्कसंगत होगा।

## आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि श्री रामकृष्ण दास, के नाम से परिवर्तन करने हेतु किये गये आवदेन दिनांक 27.11.2024 के क्रम में श्री रामकृष्ण दास के नाम से श्री महेन्द्र दास पुत्र रामकृष्ण दास, बिरला फार्म, हरिपुरकंला, ऋषिकेश के नाम पर किये गये नाम परिवर्तन को खारिज करें एवं श्री परमेश्वर दास के नाम से जारी वसीयतनामा दिनांकित 29.08.2023 12.54PM के आधार पर परिवादी द्वारा नियमानुसार आवदेन करने के उपरान्त नाम परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

*(Signature)*  
30/11/25

(दीपक फरस्वाण)  
उपभोक्ता सदस्य

*(Signature)*  
30-11-2025

(सुन्दरी गैरोला देवली)  
न्यायिक सदस्य

*(Signature)*  
30/11/25  
(रजनीश माथुर)  
तकनीकी सदस्य